विपक्ष के नेता के लिए योग्यता

लेखक - सुभाष सी. कश्यप (लोकसभा के पूर्व महासचिव)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

17 जून, 2019

"लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन के नेता पर विचार करना चाहिए।"

लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद, औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त विपक्षी दल और लोकसभा के विपक्ष (LoP, एलओपी) के नेता, जो संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 के तहत आते है, पर सवाल उठेगा। यह अधिनियम लोक सभा और राज्यसभा में समान आधिकारिक दर्जा, भत्ते के रूप में लोकसभा के विपक्ष तक विस्तृत है जो कैबिनेट मंत्रियों के लिए स्वीकार्य हैं। हालांकि, लोकसभा के मामले में, यह अध्यक्ष द्वारा नेता की मान्यता के अधीन है।

16वीं लोकसभा में, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस थी, के पास 44 सीटें थीं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, पार्टी के नेता को लोकसभा के विपक्ष के रूप में मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया गया। अब, इस मामले को 17वीं लोकसभा के संदर्भ में संशोधित करने की आवश्यकता है।

17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में गणतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक संघर्ष किया गया था। सत्तारूढ़ गठबंधन और उसके नेतृत्व की निर्णायक जीत का व्यापक रूप से राजनीति और लोगों के हित में होने का स्वागत किया गया है।

सब से ऊपर, राष्ट्र को एक स्थिर सरकार और एक मजबूत नेता की आवश्यकता है, जो कानून के शासन के भीतर सुरक्षा, विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निर्णय लेने में सक्षम हो। हालांकि, लोकतंत्र की सफलता और अस्तित्व के लिए, एक प्रभावी विपक्ष की स्पष्ट अनिवार्यता भी है। यह कहा जाता है कि यदि कोई विपक्ष मौजूद नहीं है, तो किसी को इसके लिए चुना जा सकता है।

समय के साथ विपक्ष के नेता

ऐतिहासिक रूप से, संसद में आधिकारिक तौर पर नामित पहली विपक्षी पार्टी सत्ता में सर्व-प्रमुख कांग्रेस पार्टी के टूटने से उभरी। 1969 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपेक्षित) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन) के गठन के लिए विभाजित हुई। कांग्रेस के नेता (ओ), राम सुभाग सिंह, लोकसभा में औपचारिक रूप से एलओपी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए।

6वीं लोकसभा में, कांग्रेस विपक्ष में बैठी। कांग्रेस और जनता पार्टी में विभाजन के बाद, यशवंतराव बी.चव्हाण, सी.एम.स्टीफन और जगजीवन राम क्रमिक एलओपी थे।

1977 तक, एलओपी की स्थिति से संबंधित कोई अलगाव और भत्ते नहीं थे। एलओपी की मान्यता के संबंध में संविधान या लोकसभा नियमों में भी कोई प्रावधान नहीं है। पहली लोकसभा से ही, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मान्यता देने की प्रथा रही है बशर्ते उस पार्टी में इतनी संख्या हो जो सदन की बैठक के लिए कोरम का गठन करने के लिए पर्याप्त हो या सदन की कुल सदस्यता का दसवां हिस्सा हो, वर्तमान में जो 55 सदस्यों से संबंधित है।

9वीं से 15वीं लोकसभाओं में, जब से 55 सदस्यों की न्यूनतम शक्ति होने की आवश्यकता पूरी हुई, लोकसभा ने विपक्षी दलों LoPs को विधिवत मान्यता दी थी जिसमें राजीव गांधी, एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, पी.वी. नरसिम्हा राव, शरद पवार, सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज शामिल थी।

1977 का अधिनियम एलओपी को सदन के उस सदस्य के रूप में परिभाषित करता है, जो कि सरकार के विरोध में पार्टी के उस सदन में सबसे अधिक संख्या बल रखता है, जिसे राज्यों की परिषद् के अध्यक्ष या सदन के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त है।

इस संबंध में स्पीकर के निर्णय अब तक दिशा-निर्देश 121 (सी) द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिन्होंने पार्टी या समूह की मान्यता के लिए एक शर्त रखी कि सदन की बैठक का गठन करने के लिए तय की गई कोरम के बराबर संख्या अर्थात सदन के कुल सदस्यों की संख्या के दसवें हिस्से के रूप में हो। संसद (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों ने भी लोकसभा में एक मान्यता प्राप्त पार्टी को एक पार्टी के रूप में संदर्भित किया है, जिसमें 55 से कम सदस्य नहीं हैं।

हाल ही में लोकसभा के लिए संपन्न हुए चुनाव में, विपक्ष तहस-नहस हो गये थे, लेकिन शुक्र है कि उनका नामोनिशान नहीं मिटा था। वास्तव में, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस ने 2014 में अपनी स्थिति को 44 से सुधारकर अब 52 कर लिया है। 55 की जादुई संख्या तक पहुँचने के लिए केवल तीन सदस्यों की कमी है। हाल के दशकों में जमीनी स्तर की राजनीति जिस स्तर पर चल रही है, उसे देखते हुए, कांग्रेस के नेतृत्व के लिए अपनी पार्टी की ताकत को तीन सदस्यों तक बढ़ाना मुश्किल नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष का विवेक:-

चूंकि कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए 1977 का कानून 55 सदस्यों की आवश्यकता को आवश्यक नहीं बनाता है। जैसा कि यह सब अध्यक्ष के निर्देशों और विवेक पर निर्भर करता है, यह आशा की जा सकती है कि सही कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी स्थिति में, चुनाव पूर्व गठबंधन हमारे राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है और राष्ट्रपति और राज्यपालों के मामले में पहले से ही विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाई जा रही है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि कोई भी दल स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं करने वाले मामलों में सरकार बनाने के लिए पहले किसे बुलाएगा। यह वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर सकता है, जो चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होने वाले 2,000 से अधिक दलों में से एक है।

GS World टीम...

भारतीय संसद और विपक्ष

परिचय

- भारत संघ की सर्वोच्च विधायी अंग को संसद कहा जाता है।
- भारतीय संविधान हमें एक संसदीय लोकतंत्र प्रदान करता है, भारत की संसद देश के शासन में प्रमुख स्थान रखती है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 में भारत के संसद की संरचना, शक्तियों और प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया गया है।

संरचना

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए संसद होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन-राज्य सभा (राज्यों के परिषद्-काउंसिल ऑफ स्टेट्स) और लोकसभा (लोगों का सदन-हाउस ऑफ द पीपुल) हों।
- संविधान का अनुच्छेद 80 राज्य सभा की संरचना निर्दिष्ट करता है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 238 प्रतिनिधि होते हैं।
- राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा पूरा किया जाना है।

संसद में विपक्ष

- विपक्ष के नेता की परिभाषा 1977 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम में मौजूद है।
- इसमें संसद द्वारा दोनों सदनों के विपक्ष के नेता को मिलने वाले वेतन और अन्य भत्तों का प्रावधान है।
- विपक्ष का नेता लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा।
- उसकी नियुक्ति सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। विपक्ष के नेता के पद की दावेदारी संख्या बल पर निर्भर है न कि कोटे या प्रतिशत के आधार पर।

क्या है नियम?

- दस फीसदी नियम की पहली चर्चा स्वतंत्रतापूर्वकी केंद्रीय विधानसभा के, सभा अध्यक्ष के निर्देश में हुई थी।
- तब राजनैतिक पार्टियों की संख्या बहुत कम थी। विधायकों के गुट जो संसदीय पार्टी माने जाने के लिए दावा करते थे, उन्हें तीन शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं- उनकी अलग-अलग विचारधारा और कार्य योजना हो।
- संगठन संसद के भीतर और बाहर सार्वजनिक हित के मुद्दों से जुड़ा हो। सभा के कोरम के लिए जरूरी सीटों पर अपनी पकड़ दर्शाने में सक्षम हो।
- छह दशकों से लोकसभा में बढ़ते सदस्यों के साथ सामंजस्य रखने के लिए कोरम की संख्या 30 से बढ़ाकर 55 तय की गई है।

पृष्ठभूमि

- 10वीं लोकसभा में भारी दल-बदल से राजनैतिक पार्टियाँ विघटित हुई और नए गुट बने। आम सहमति से निर्धारित हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष के बदले राष्ट्रीय चुनाव आयोग सांसदों के गुट को राजनैतिक दल मानने या न मानने के लिए अधिकारी माना जाए।
- सबसे बड़े एकल विपक्ष दल का निर्धारण संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार करना ठीक रहेगा। 1985 में निजी लाभ हेतु बढ़ते दल-बदल पर रोक लगाने की गरज से संविधान में संशोधन कर, दसवीं अनुसूची शमिल की गई।

- 10वीं अनुसूची 'मूल राजनैतिक दल' और संसद के दोनों सदनों में उसके प्रतिनिधि बने हुए 'विधायक दल' के बीच के रिश्ते का स्पष्टीकरण करती है।
- इससे साफ हो जाता है कि विधायक दल की संसद में चाहे जितनी भी सीटें हों, वह अपने मूल राजनैतिक दल का अविभाज्य अंग है।
- 1998 में संसद के विधायक दल के मुख्य-सचेतक और उप-सचेतक को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं को तय करने के लिए एक कानून पारित किया गया।
- हर विधायक दल को, जिसके पास दस फीसदी या उससे अधिक लोकसभा सीट यानी कम से कम 55 सांसद हैं, 'संसदीय पार्टी' का दर्जा दिया जाएगा।
- 30-54 सांसदों वाले विधायक दलों को 'संसदीय समूह' माना जाएगा।
- इस कानून का सीधा उद्देश्य इन सचेतकों को काम करने के लिए कमरे, मानव संसाधन और फोन जैसी अन्य सुविधाएँ मुहैया कराना है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-79 में संघ के लिए संसद वर्णित है।
   2. सदन के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है।
   3. विपक्ष के नेता की परिभाषा 1977 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम में वर्णित है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1- Consider the following statements -
   1. In Article- 79 of the Indian Constitution there shall be a Parliament for the Union.
   2. The leader of the opposition is appointed by the Speaker of the House.
   3. The definition of leader of the opposition is described in an act passed by Parliament in 1977.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) 1 and 2 (b) 2 and 3
   (c) 1 and 3 (d) all of the above

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्नः "एक मजबूत व जीवंत लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ-साथ मजबूत विपक्ष का भी होना आवश्यक है।" हाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. 'For a strong and vibrant democracy, it is also necessary to have a strong opposition as well as the ruling party.' In view of the recent elections, discuss the role of Leader of Opposition in Parliament.

(250 Words)

नोट : 15 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।